



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16022022-233512
CG-DL-E-16022022-233512

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 681]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 15, 2022/माघ 26, 1943

No. 681]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 15, 2022/MAGHA 26, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2022

का.आ. 700 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या. 361 के कि.मी. 522.420 से कि.मी. 644.400 तक (खुपसरवाडी से पार्डी (मक्ता खंड) का निर्माण (चौड़ा करने चार लेन का बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपविभागीय अधिकारी तथा भूमि अर्जन अधिकारी, नांदेड को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा

ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 361 के कि.मी. 522.420 से कि.मी. 600.400 म.रा.म.2 तक (खुपसरवाडी से पाडी (मक्ता) खंड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: नांदेड			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: अर्धापूर					
गांव का नाम: अर्धापूर					
1	191	निजी	एग्रकल्चरल्	0.0600000(हेक्टेयर)	0.0600000
2	635	निजी	कृषि	0.3200000(हेक्टेयर)	0.3200000
गांव का नाम: पाडी मक्ता					
1	222	निजी	कृषि	0.0015000(हेक्टेयर)	0.0015000
तालुक का नाम: नांदेड					
गांव का नाम: धनेगांव					
1	38	निजी	कृषि	0.0045000(हेक्टेयर)	0.0045000
गांव का नाम: फत्तेजंगपुर					
1	25	निजी	कृषि	0.0144000(हेक्टेयर)	0.0144000
गांव का नाम: खुपसरवाडी					
1	110	निजी	कृषि	0.0185000(हेक्टेयर)	0.0185000
कुल				0.4189	0.4189

[फा. सं. NHAI/LA/NH-361/2015/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th February, 2022

S.O. 700 (E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening / four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 361 in the stretch of land from Km. 522.420 on MSH 2 to Km. 600.400 (Khupsarwadi to Pardi (Makta) Section) in the District of Nanded in the state of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Sub-Divisional Officer & Land Acquisition Officer, Nanded in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 522.420 to Km. 600.400 on MSH2 (Khupsarwadi to Pardi (Makta) section) of the National Highway – 361 in the state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA		District: NANDED			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Ardhapur					
Village: Ardhapur					
1	191	Private	Agricultural	0.0600000(Hectare)	0.0600000
2	635	Private	Agricultural	0.3200000(Hectare)	0.3200000
Village: Pardi Makta					
1	222	Private	Agricultural	0.0015000(Hectare)	0.0015000
Taluk: Nanded					
Village: Dhanegaon					
1	38	Private	Agricultural	0.0045000(Hectare)	0.0045000
Village: Fattejangpur					
1	25	Private	Agricultural	0.0144000(Hectare)	0.0144000
Village: Khupsarwadi					
1	110	Private	Agricultural	0.0185000(Hectare)	0.0185000
Total				0.4189	0.4189

[F. No. NHAI/LA/NH-361/2015/3A]

RAJESH GUPTA, Director